श्री महेश शिक्षण संस्थान, जोधपुर
उम्मेद अस्पताल के सामने, जोधपुर (राज.) 342 001
दूरभाष : 0291-2632856, 2632850
visit us at : www.mahesheducation.org E-mail : info@mahesheducation.org

No. : MS/JU/

Date : 15/03/2019

एकरारनामा

श्री माहेश्वरी समाज, जोधपुर जरिये मन्त्री श्री दामोदर लाल बंग सुपुत्र श्री मदनगोपाल बंग, श्री माहेश्वरी न्याति नोहरा, जालोरी गेट के अन्दर, जोधपुर जो इस एकरारनामे में प्रथम पक्ष के नाम से सम्बोधित किया जायेगा ।

एवम्

श्री महेश शिक्षण संस्थान, जोधपुर सिवान्ची गेट के बाहर, उम्मेद अस्पताल के सामने, जोधपुर जरिये मानद सचिव, श्री हरी गोपाल राठी सुपुत्र श्री किशन गोपाल राठी जो इस एकरारनामे में द्वितीय पक्ष के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

01. यह है कि प्रथम एवं द्वितीय पक्ष के बीच दिनांक 28.08.2004 को एक राजीनामा निष्पादित किया गया था, जिसमें उल्लेखित तथ्यों व संलग्न नक्शे के तहत प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को प्रतिमाह रूपये 25,000/– दिनांक 01.04.2004 से किराये के देना तय किया था ।

02. यह है कि द्वितीय पक्षकार द्वारा समय–समय पर किराये का भुगतान चैक द्वारा प्रथम पक्षकार को किया गया है ।

03. यह है कि प्रथम पक्षकार ने द्वितीय पक्षकार को किराये कानून अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 12.03.2018 को पत्र देकर बकाया किराया भुगतान करने का आग्रह किया ।

04. यह है कि प्रथम पक्षकार एवं द्वितीय पक्षकार ने आपसी रजामन्दी से दिनांक 01.04.2018 से प्रथम पक्षकार को प्रतिमाह रूपये 35,000/– एवम् नियमानुसार टैक्स का भुगतान प्रथम पक्षकार को करने के लिए सहमत हुवे है ।

05. यह है कि द्वितीय पक्षकार द्वारा हर तीन वर्ष पश्चात किराये में 10% (दस प्रतिशत) की वद्धि कर प्रथम पक्षकार को भुगतान किया जायेगा ।

06. यह है कि यह राजीनामा दिनांक 28.08.2004 में उल्लेखित अन्य प्रावधानों को दोनों पक्षों को मान्य होगें ।

(हरी गोपाल राठी)
मानद सचिव
श्री महेश शिक्षण संस्थान
जोधपुर

(कैलाश चन्द्र मोदी)
कोषाध्यक्ष
श्री महेश शिक्षण संस्थान
जोधपुर

(दामोदर लाल बंग)

(सत्यनारायण मूंदड़ा)

राजीनामा

श्री माहेश्वरी समाज, जोधपुर जरिये मंत्री दामोदरलाल पुत्र श्री मदनगोपाल जी माहेश्वरी बंग, माहेश्वरियों का न्याति नोहरा, जालोरी गेट के अन्दर, जोधपुर, जो इस राजीनामे में प्रथम पक्ष के नाम से सम्बोधित किया जायेगा–

ए व म्

श्री महेश शिक्षण संस्थान, हरनाथ का बेरा, सिवांची गेट के बाहर, जोधपुर जरिये अध्यक्ष श्री वी.ओ. सोमानी पुत्र स्व. श्री ओंकारमल सोमानी जो इस राजीनामे में द्वितीय पक्ष के नाम से सम्बोधित किया जायेगा–

1) यह है कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के खिलाफ एक दावा दिनांक 28–08–1980 को श्री एडिशनल सिविल जज (क0ख0) संख्या 2 जोधपुर में पेश किया था, वो अभी एडिशनल सिविल

अध्यक्ष
श्री महेश शिक्षण संस्थान
जोधपुर

(दामोदरलाल बंग)
मंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जोधपुर

जज (क0ख0) सं. 3, जोधपुर में चल रहा है, उसमें प्रथम पक्ष की शहादत चल रही है। दोनों ही पक्षों ने निम्नलिखित राजीनामा करने का तय किया है –:

ए) यह है कि प्रथम पक्ष की पट्टासुद व कब्जासुद लैण्ड, जिसका पट्टा नंबर 31 तारीख 9.11.1953 डवलपमेन्ट ऑफिसर, जोधपुर का प्रथम पक्ष के नाम मिला हुवा है और द्वितीय पक्ष किरायेदार के रूप में इसमें महेश शिक्षण संस्थान के नाम से बहुत अच्छी शिक्षण संस्थान चला रहे है।

बी) यह है कि द्वितीय पक्ष की ओर से जमीन का एक नक्शा दिया गया है, जो एक्जीविट–1 है और उस पर दोनों के दस्तख्त कराये गए हैं। यह नक्शा A, B, C, D, E, F, G के नाम से जाना जायेगा। द्वितीय पक्ष इसको मंजूर करता है कि यह जमीन प्रथम पक्ष की है और द्वितीय पक्ष उसके किरायेदार के रूप में बहुत वर्षों से इस पर काबिज है। इसमें स्कूल बनी हुई है और फुटबाल ग्राउण्ड भी बना हुआ है व लॉन आदि बनी हुई, जो नक्शे में दर्ज किया गया है।

अध्यक्ष
श्री महेश शिक्षण संस्थान
जोधपुर

(दामोदरलाल बंग)
मंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जोधपुर

सी) यह है कि पूरब–दक्षिण की तरफ सिंवाची गेट की तरफ रोड आई हुई है, उसमें स्कूल का प्रवेश द्वार है। किराया दिनांक 01–04–2004 से 25,000/– रू. (अक्षरे पच्चीस हजार मात्र) महावार किराया द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को जरिये चैक या ड्राफ्ट व रसीद द्वारा देगा तथा मेन्टेनेन्स व रिपेयरिंग की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। गृहकर अथवा किसी प्रकार का कर की जिम्मेदारी द्वितीय पक्ष की होगी। बिना रसीद के कोई रकम शुमार नहीं होगी। यह रकम माहेश्वरी समाज शिक्षा के लिए, माहेश्वरी समाज के उत्थान के लिये और सामाजिक कार्य आदि के लिये उपयोग करेगा।

डी) यह है कि द्वितीय पक्ष, जो मौजूदा इमारत बनी हुई है, वो इमारत कायम रखेगा, थोड़ी बहुत मरम्मत, रद्दोबदल करानी हो वो करा लेगा। अगर इमारत और बनानी हो तो प्रथम पक्ष को इसकी सूचना देगा। प्रथम पक्ष को बिना सूचना द्वितीय पक्ष कोई कार्यवाही नहीं करेगा। अगर प्रथम पक्ष कोई भी एतराज करे तो दोनों पक्ष आपस में समझौता कर और निर्णय ले सकेंगे।

ई) यह है कि साईकिल स्टेण्ड, जो नक्शे में D. P.Q.R. के नाम से द्वितीय पक्ष का साइकिल स्टेण्ड बना हुआ है, जो 122½' का है

अध्यक्ष
श्री महेश शिक्षण संस्थान
जोधपुर

(दामोदरलाल बंग)
मंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जोधपुर

तथा इसी के साथ 14.3' का रास्ता है, तथा उसी के सामानान्तर पूर्व की दिशा में स्कूल की केन्टीन बनी हुई है, इन दोनों हिस्सों का ब्यौरा नीचे दिया गया है। इस जमीन में से 133½' फीट लम्बी व 20 फुट चौड़ी जमीन (E से K) द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को दी जाना तय है ताकि प्रथम पक्ष अपने सामाजिक कार्य हेतु हरनाथ बेरा में मैरिज हॉल आदि बना सकेगा।

i) समाज के भवन के पीछे तथा साइकिल स्टेण्ड की लाइन में 34'. 9''X 34'.9" (E to P) जमीन जिसमें स्कूल की कैन्टीन बनी हुई है तथा रास्ते की जगह 14'.3' है, द्वितीय पक्ष के कब्जे में है।

i i) इसी प्रकार कैन्टीन के उत्तर दिशा की ओर 136'.9" x 27½' (P to D) जमीन पर स्कूली बच्चों की साइकिल स्टेण्ड है। यह जमीन भी द्वितीय पक्ष के कब्जे में है, इन दोनों की लम्बाई पूरव से पश्चिम दिशा की ओर 34.9+14.3+122.6' = 171½' (E to D) के करीब बनती हैं।

iii) पहला पक्ष इन दोनों पौकेट (E to D) की जमीन में से 133½ फीट लम्बी एवं 20 फुट चौड़ी जमीन (E to K) जिसकी शुरुआत कैन्टीन से होकर साइकिल स्टेण्ड पर खत्म होगी, प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष से वापस चाहता है।

अध्यक्ष
श्री महेश शिक्षण संस्थान
जोधपुर

श्री

iv) तथा यह तय हुआ है कि स्कूल की पुरानी कैन्टीन के एवज में 133½' लम्बाई के हिस्से के बाद की साइकिल स्टेण्ड की जमीन D, K, K-1, R (38'x27½') द्वितीय पक्षकार के पास रहेगी तथा जिस पर प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी। तथा द्वितीय पक्ष अपनी सुविधानुसार इस पर निर्माण करा सकेगा।

एफ} यह है कि द्वितीय पक्ष फुटबॉल ग्राउण्ड, जो नक्शे में W,X,Y,Z के नाप का बनाया हुआ है, उसके अलावा सैफ्टी जोन व इसके बाहर ही बनाया जायेगा, वो द्वितीय पक्ष का ही रहेगा। द्वितीय पक्ष फुटबॉल ग्राउंड में कोई इमारत नहीं बना सकेगा।

जी} यह है कि दक्षिण पश्चिम की तरफ प्रपोज जिम्नास्टिक द्वितीय पक्ष बनाना चाहता है, उसमें ए के स्थान पर छोटी मोटी नाल है, जिससे प्रथम पक्ष के सदस्य श्मशान से महादेव के दर्शन हेतु इस ओर से आते जाते रहते थे, वो जमीन के आखरी हिस्से से (Corner) `B' के पास द्वितीय पक्ष अपने खर्चे से आवश्यकतानुसार नाल बना देगा, जिस पर प्रथम पक्ष को कोई एतराज नहीं होगा। अभी जो नाल `A' के Corner पर चढ़ती है, वो बंद करा देगा और उसके ऊपर दीवार बना सकेंगे। उसके बाद में पूर्व की तरफ द्वितीय पक्ष प्रपोज ऑडियेन्स गैलेरी बनायेगा, उसमें प्रथम पक्ष को कोई एतराज नहीं होगा। द्वितीय पक्ष अपने खर्चे से

(दामोदरलाल बंग)
मंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जोधपुर

प्रपोज ऑडियेन्स गैलेरी आदि बना सकेगा नक्शें में C से D के बीच जो पट्टियाँ खड़ी हैं उसकी जगह द्वितीय पक्ष अपने खर्चे से दीवार बना सकेगा, तथा एच स्थान पर जो लगा हुआ दरवाजा है यह यथास्थित रहेगा और J से O तक द्वितीय पक्ष अपनी दीवार बना सकेगा और आई के स्थान पर आठ बाई आठ फुट का एक दरवाजा रखेगा, उसमें ताला लगेगा एवं उसकी एक चाबी प्रथम पक्ष व एक चाबी द्वितीय पक्ष के पास रहेगी, जो सामान्यतः बन्द रहेगा। समाज द्वारा निर्माण आदि कोई कार्य कराने हेतु इस गेट को बन्द करने की आवश्यकता होगी तो बन्द करा सकेगा। B C O J के बीच की जगह द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को दिया जाना तय है ताकि प्रथम पक्ष अपनी योजनानुसार जगह को काम में ले सके।

के) अगर द्वितीय पक्ष ब्याह शादी के लिए मैदान, भवन आदि देगा व उसके बदले में किसी प्रकार का सहयोग लेगा तो वह द्वितीय पक्ष का ही होगा, प्रथम पक्ष को इसके लिये कोई एतराज नहीं होगा। महेश नवमी हेतु द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को निःशुल्क मैदान उपलब्ध करायेगा। इसके अतिरिक्त श्री माहेश्वरी समाज, जोधपुर के अन्य सार्वजनिक कार्यक्रम, हेतु श्री माहेश्वरी समाज, जोधपुर के चाहने पर विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखते हुए प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष की रजामन्दी से मैदान निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

अध्यक्ष
श्री महेश शिक्षण संस्थान
जोधपुर

(दामोदरलाल बंग)
मंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जोधपुर

एल} यह है कि जो मुकदमा चल रहा है, उसका फैसला इस बिनाय पर होगा और किराया द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को देगा और बाकी का दावा विदड्रॉ कर लिया जायेगा। साईकिल स्टैण्ड वाली जमीन पर E, K, K-2, E-1, द्वारा मार्क है, में प्रथम पक्ष अपनी इमारत हरनाथ बेरा भवन के सामने मैरिज हॉल टाईप या जो भी उचित समझे, वो बना लेगा, परन्तु द्वितीय पक्ष के लिए कोई दरवाजा, द्वितीय पक्ष की ओर नहीं रखेगा बारी, वेन्टीलेटर रखेगा और मोरी, खालिया वगैरा प्रथम पक्ष की ओर ही रखेगा, द्वितीय पक्ष की ओर नहीं रखेगा।

एम) उपरोक्त राजीनामा तहत प्रथम एवं द्वितीय पक्षों को नक्शें मे अब A,J,O,D,K, K-2, E-2, E-3, F,G जो लाल स्याही से चिन्हित है व श्री महेश शिक्षण संस्थान के कब्जे में है, मान्य है जिस पर स्वीकृति हेतु दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हैं।

लिहाजा राजीनामा पेश कर निवेदन है कि यह कार्यान्वित किया जावे। दोनों पक्ष को इस राजीनामा के लिहाज से दीवार, दरवाजे

अध्यक्ष
श्री महेश शिक्षण संस्थान
जोधपुर

(दामोदरलाल बंग)
मंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जोधपुर

बनाने के लिये छः माह का समय दिया जाता है, उसमें बना लेंगे। बाकी दोनों पक्ष इस राजीनामा अनुसार कार्यवाही करेंगे।

ह0 द्वितीय पक्ष अध्यक्ष

श्री महेश शिक्षण संस्थान जोधपुर

गवाह :–

ह0 प्रथम पक्ष

(दामोदरलाल बंग).
मंत्री
श्री माहेश्वरी समाज, जोधपुर

1. वेणुगोपाल काबरा पुत्र श्री गिरधलाल काबरा
मानद् सचिव– श्री महेश शिक्षण संस्थान, जोधपुर

1. देवकिशन भूतड़ा पुत्र श्री मेघराज भूतड़ा
सहमन्त्री – श्री माहेश्वरी समाज, जोधपुर

2. हरीगोपाल राठी पुत्र श्री किशनगोपाल राठी
कोषाध्यक्ष, श्री महेश शिक्षण संस्थान, जोधपुर

2. सत्यनारायण गट्टानी पुत्र श्री रामरतन गट्टाणी
कोषाध्यक्ष– श्री माहेश्वरी समाज, जोधपुर

3. डॉ. एन.के. माहेश्वरी पुत्र श्री रामस्वरूप माहेश्वरी
सदस्य – श्री महेश शिक्षण संस्थान, जोधपुर

3. शिवरतन मानधना पुत्र श्री सहसकरण मानधना
संयोजक श्री हरनाथ बेरा विकास समिति